न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 49/2024

सरबती बनाम कालूराम

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी
2. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::– दिनांक :– 22.12.2025

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण के वाद पत्र का मुख्य आधार यह है कि प्रतिवादीगण की माता स्वर्गीय जयकौरी ने विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 01.10.2009 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवाई है इसलिए वसीयत के आधार पर वादीगण का विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा वाद पत्र के अनुतोष ख में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा यानि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष चाहा है जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति स्थाई निषेधाज्ञा का यानि न्यायालय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 का अनुतोष चाहता है वह भूमि का टीनेट होना चाहिए, कब्जे के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा कानूनन बाधित है इसलिए वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहतखारिज किए जाने योग्य है और यही सिद्वांत माननीय राजस्व मण्डल ने अपने द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2019 आर बी जे पेज संख्या 45 में स्थापित किया है। वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा संख्या 9 में वाद कारण अंकित किया है जो काल्पनिक है चूंकि वाद पत्र के पठन से वाद कारण उत्पन्न होना चाहिए और वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पठन से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है और ऐसे झूठे व काल्पनिक आधारों पर प्रस्तुत वाद पत्र को धारा 151 सी पी सी के तहत ही खारिज किया जा सकता है। इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने पारित न्यायिक दृष्टांतों में यही सिद्वात प्रतिपादित किए है जो इस प्रकार है, 2021 (1) आर आर टी पेज संख्या 535 व 2017 आर बी जे पेज संख्या 145 (उच्च न्यायालय जोधपुर) व 2013 (1) आर आर टी पेज संख्या 699 सर्वोच्च न्यायालय इस से स्पष्ट है कि वाद हेतुक की अनुपस्थिति में वाद में कार्यवाही नहीं हो सकती है और झूठे काल्पनिक आधारों पर प्रस्तुत वाद पत्र तथा यदि प्रक्रिया के दुरूपयोग की मन्शा से वाद पेश किया हो या मिथ्या वाद कारण पर वाद पेश किया हो ऐसी स्थिति में धारा 151 सी पी सी के अर्न्तगत वाद खारिज किया जा सकता है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के प्रथम पेज पर सबसे ऊपर वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया है जबकि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को उपखण्ड अधिकारी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अनुसूचि 3 के आईटम नम्बर 5 के तहत घोषणा का वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है चूंकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने द्वारा पारित निर्णय 1999 आर आर डी (उच्च न्यायालय) पेज संख्या 7 में यही सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि Suit for Declaration and Permanent injunction in relation to agri- land lies before Asstt- Collector as per Sch-111, Item 5-Held SDO Was not competent to hear such suit-Order Passed by S-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

D-O- In Such Suit was without completion and without jurisdiction इससे स्पष्ट है कि श्रीमान् न्यायलाय को वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्वांत 2019 आर बी जे पेज संख्या 222 उच्च न्यायालय के अनुसार क्षेत्राधिकार का कानूनी बिन्दु किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है क्योंकि वाद पत्र की पोषणीतया का प्रश्न विधि का प्रश्न है इसलिए वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित होगा। विवादित भूमि प्रतिवादीगण की माता स्वर्गीय जयकौरी के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो स्वर्गीय जयकौरी के देहांत दिनांक 10.04.2020 के उपरांत विवादित भूमि विरास्तन प्रतिवादीगण जो प्रथम श्रेणी के वारिसान है के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान है इसलिए प्रतिवादीगण की माता श्रीमती जयकौरी अपने वारिसान यानि पुत्रों के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों के पक्ष विवादित भूमि की तथाकथित वसीयत कर ही नहीं सकती है क्योंकि हर व्यक्ति जीवनपर्यन्त धन का संचय इसलिए करता है कि वह अपनी संतान को सुख सुवधा प्रदान कर सके, ना कि किन्ही अन्य व्यक्तियों को और इसी आधार पर प्रथम दृष्टया तथाकथित वसीयत संदेहस्पद होने से राजस्व न्यायालय संदेहस्पद वसीयत के आधार पर वादीगण को कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है क्योकि सन्देहस्पद वसीयत जब तक सिविल न्यायालय से साबित/ प्रबोट नहीं करवा लेता तब तक राजस्व न्यायालय को वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत इसी स्तर पर निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में पारित करावे। वादीगण ने प्रतिवादीगण की माता स्वर्गीय जयकौरी के द्वारा निष्पादित तथाकथित वसीयत दिनांक 01.10.2009 की पालना करवाने के लिए वर्ष 2024 में वाद पत्र पेश किया है जबकि वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 6 में प्रतिवादीगण की माता जयकौरी का देहांत दिनांक 10.04.2020 को अंकित किया है इसलिए वादीगण को तथाकथित वसीयत के आधार पर दिनांक 10.04.2020 के पश्चात् समयावधि के अन्दर वाद पत्र पेश करना चाहिए था परन्तु वादीगण ने वर्ष 2024 में वाद पत्र पेश किया है जो मियाद बाहर है इसलिए वादीगण का वाद पत्र मियाद के बिन्दु पर निरस्त किए जाने योग्य है। वादीगण के नाम से वर्तमान जमाबंदी में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है उक्त इंतकाल को कही चुनौतीग्रस्त नहीं किया और ना ही इंतकाल के विरूद्व अपील दायर की है जिसकी भी समयावधि बीत चुकी है इसलिए वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अन्य तथ्य विधिक बिन्दु वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण द्वारा वसीयत दिनांकित 01.10.2009 के आधार पर वादाधीन कृषिभूमि का खातेदार घोषित किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अन्य तथ्य निराधार व विधि विपरीत होने के कारण स्वीकार नहीं है । वादीगण द्वारा वाद पत्र में मुख्य रूप से वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष अधियाचित किया है । वाद पत्र के खण्ड 'ख' में चाहा गया अनुतोष, मुख्य अनुतोष खण्ड 'क' के अनुषांगिक (Ancillary relief) है ना कि मुख्य अनुतोष है जिसको प्रदान करने की अधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। वादाधीन कृषि भूमि का रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज न करवाकर प्रतिवादीगण द्वारा विरास्तन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया गया जिस पर वादीगण को ज्ञान होने पर प्रतिवादीगण को वसीयत के आधार पर इन्तकाल करवाने हेतु कहा गया व उनके द्वारा इन्कार कर दिया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र की चरण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 9 में स्पष्ट रूप से वादकारण वर्णित किया गया है जो वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादीगण हासिल है। प्रतिवादीगण द्वारा केवल मात्र वाद पत्र की कार्यवाही को लम्बित रखने के लिए एवं प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए मिथ्या कथन अंकित किये हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 काश्तकारी अधिनियम श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी का अभिप्राय सहायक कलैक्टर से है, इसलिए विधि अनुसार वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। श्रीमान् न्यायालय को गुमराह करने के लिए मिथ्या कथनों के आधार पर जवाब दावा पेश न कर दावा को लम्बा व देरीना करने की नीयत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। । प्रतिवादी द्वारा इस चरण में कथित किया गया है कि वसीयत जब तक सिविल न्यायालय से प्रोबेट नहीं करवा लेते तब तक राजस्व न्यायालय को वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त कथन बिलकुल ही निराधार एवं विधि विपरीत है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य में वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रोवेट करवाया जाना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान राज्य में वसीयत को प्रोबेट करवाना आवश्यक नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय जयकौरी को अपने पीहर पक्ष से पीहर में वादाधीन कृषि भूमि अलोट हुई थी, इसलिए वह अपने हकीकी भाईयों माडुराम व भजन लाल को यह भूमि देना चाहती थी, इसलिए स्वर्गीय जयकौरी द्वारा अपने जीवन काल में स्वेच्छा से रोबरू गवाहान दिनांक 01.10.2009 को उप पंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष वसीयत रजिस्टर्ड करवाई थी। वसीयत का उप पंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष रोबरू गवाहान पंजीकृत होना प्रथम दृष्टया वसीयत की सत्यता को साबित करता है। वादीगण द्वारा वाद पत्र समय अवधि में प्रस्तुत किया गया है । इन्तकाल की कार्यवाही एक राजकोषिय उत्परिवर्तन कार्यवाही है जिसके तहत किसी भी प्रकार से अधिकारों या हितों को घोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र समय अवधि में होने व चाहा गया अनुतोष माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान करने की अधिकारिता होने के कारण श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 का जवाब बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिलकुल ही निराधार, मिथ्या कथनों व देरीना के लिए प्रस्तुत किये होने के कारण भारी हर्जाने से खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी की बहस सुनी गइ। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का निर्णय प्रार्थना पत्र में अभिलिखति अभिवचनो एवं वाद पत्र में अभिलिखित अभिवचनो के आधार पर किया जाना है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अभिलिखित अभिवचनो का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा स्वर्गीय जयकौरी द्वारा की गई पंजीकृत वसीयत दिनांक 01.10.2009 के आधार पर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है एवं उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा यानि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण की माता स्वर्गीय जयकौरी के द्वारा निष्पादित तथाकथित वसीयत दिनांक 01.10.2009 की पालना करवाने के लिए वर्ष 2024 में वाद पत्र पेश किया गया है। जबकि वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 6 में प्रतिवादीगण की माता जयकौरी का देहांत दिनांक 10.04.2020 को अंकित किया है, वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्व विरास्तन इंतकाल 08.03.2023 (इन्तकाल संख्या 921) को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ऐसी स्थिति में उक्त पंजीकृत वसीयत दिनांक 01.10.2009 की वैद्यता/सत्यता के सम्बन्ध में निर्णय सिविल न्यायालय के द्वारा किया जाना है न की राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना है। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर अक्षरतः चस्पा होते हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)